मध्यप्रदेश कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कारखानों के पंजीकरण/अनुज्ञप्ति में संशोधन हेतु आवेदन

श्रम सेवा पोर्टल : http://www.labour.mp.gov.in

(कारखाना सम्बंधित सभी सेवाएं एम.पी.ऑनलाइन के पोर्टल से संचालित है)

पोर्टल: https://www.mponline.gov.in/PORTAL/SERVICES/FACTORYREG/LOGIN/FRMLOGIN.ASPX

1.प्रयोज्यता	मध्यप्रदेश कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत वह अधिभोगी जिनके कारखाने की पंजीकृत जानकारी में किसी प्रकार का संशोधन आवश्यक हो |
2. आवेदन कब करें?	अनुज्ञप्ति की अवधि के दौरान किसी भी समय |
3. आवेदन कौन कर सकता है	केवल अधिभोगी ही आवेदन कर सकते हैं | निम्नलिखित अधिभोगी की श्रेणी के लिए मान्य हैं : 1.प्रोप्रायटरशीप की दशा में- प्रोप्रायटर 2.भागीदारी फर्म होने की दशा में- कोई भी भागीदार 3.लिमिटेड कंपनी होने की दशा में-कोई भी संचालक
4. पोर्टल पर उपलब्ध सुविधाएँ	कारखाना अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरणसम्बन्धी निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध है : ⇨ नवीन पंजीयन ⇨ पंजीयन नवीनीकरण ⇨ कारखाने के प्लान पर अनुमोदन ⇨ अनुज्ञप्ति में संशोधन
5. आवेदन कहाँ करें?	कारखाने अधिनियम सम्बंधित सभी सेवाएं एम.पी.ऑनलाइन के पोर्टल के माध्यम से संचालित की जाती है | **पंजीयन संशोधन हेतु** नागरिक सेवाएं → आवेदन → फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें | a) यदि आप पूर्व से पंजीकृत है तोअपना यूजर-आईडी एवं पासवर्ड उपयोग करें - जो कि आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा गया था |

	वेबसाइट : Account Sign-Up(For Existing Users) **अथवा** b) यदि पूर्व में अनुज्ञप्ति मैन्युअल प्रक्रिया से प्राप्त किया गया तो New User पर क्लिक कर अपनी जानकारी पोर्टल पर दर्ज करें| (दर्ज मोबाइल नंबर पर यूजर-आईडी एवं पासवर्ड भेजा जायेगा) **वेबसाइट** : Register New User
6. आवेदनप्रक्रिया	पोर्टल पर बने अकाउंट से लॉग-इन् करें तथा बाएं ओर उपलब्ध विकल्पों में से संशोधन विकल्पों (Amendment Options) पर क्लिक कर Apply For Amendmentचयनित करें |तत्पश्चात् फॉर्म से सम्बंधित घोषणापत्र पर अपनी सहमति टिक लगाकर(√) सुनिश्चित करें|पूर्व में दिए गए एफ.ए.सी नंबर को दर्ज करें तथा सर्च बटन पर क्लिक करें | पंजीकृत जानकारी पोर्टल पर दिखाई देगी | जानकारी में संशोधन edit विकल्प के माध्यम से करें | ऑनलाइन फॉर्म-4 की सभी प्रविष्टियाँ भरकरफॉर्म डाऊनलोड कर लें तथा आवेदन फॉर्म को हस्ताक्षरित करस्कैन कर लें | यह फॉर्म Signed and Scanned Copy of Application की श्रेणी में पोर्टल पर अपलोड करें |सभी दस्तावेज अपलोड करने के बाद प्रक्रिया सम्बन्धी निर्धारित शुल्क भरने हेतु Proceed for payment पर क्लिक कर फीस एवं पोर्टल चार्ज का भुगतान करें | Payment Options" में "Submit Treasury Challan Copy" पर जाकर आवेदन के प्रकार में दिये विकल्पों में से "Challan for Amendment of Licence" को सिलेक्ट करें व अपना आवेदन क्रमांक भर कर "खोजें" पर क्लिक करें तथा अनुज्ञप्ति संशोधन शुल्क के रूप में बैंक चालान अथवा सायबर ट्रेज़री रसीद अपलोड करें।
7. आवश्यक दस्तावेज	**दस्तावेज निर्धारित फॉर्मेट में स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड करें :** 1. आवेदन फॉर्म-4 की हस्ताक्षरित प्रति (**PDF**फॉर्मेट) 2. बैंक चालान/सायबर ट्रेज़री रसीद/लोक सेवा केन्द्र की रसीद शुल्क जमा होने के संबंध में हेड "0230-श्रम एवं रोजगार, 104-कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत देय शुल्क" (**PDF** फॉर्मेट) यदि कर्मकारों की संख्या या हॉर्स-पॉवर में संशोधन हो) 3. अधिभोगी का पासपोर्ट साईज फोटो | (**JPG** फॉर्मेट) 4. अधिभोगी का फोटो परिचयपत्र / वोटर आई डी / आधार कार्ड / ड्रायविंग लाईसेन्स / पासपोर्ट या पेन कार्ड में से कोई एक।(**PDF** फॉर्मेट) 5. पूर्व में जारी हुई अनुज्ञप्ति की प्रति | (**PDF** फॉर्मेट) 6. पूर्व से दर्ज जिस जानकारी में परिवर्तन हुआ है उससे सम्बंधित सभी

	दस्तावेज़ों की प्रति जैसे कि : ✓ अधिभोगी के नाम में परिवर्तन का प्रमाण पत्र ✓ कम्पनी के नाम में परिवर्तन का प्रमाण पत्र ✓ हार्स पावर में परिवर्तन का प्रमाण पत्र ✓ अन्य 7. अनुज्ञप्ति संशोधन हेतु निर्धारित हेड में जमा शुल्क रुपये.10/- की चालान रसीद
8. आवेदन की स्थिति	जमा किये हुए आवेदन की तीन स्थितियां हो सकती है : - आवेदन पर स्वीकृति **या** - आवेदन पर आपत्ति **या** - आवेदन पर अस्वीकृति (रद्द होना) उपरोक्त किसी भी स्थिति में आवेदनकर्ता को उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर **SMS** द्वारा सूचित किया जायेगा |
9. आवेदन शुल्क	कारखाने के नवीनीकरण हेतु शुल्क निम्नलिखित पैरामीटरों के आधार पर गणित है : (1) कुल रेटेड होर्स पावर जो कि कारखाने में स्थापित किया गया है अथवा किया जाना प्रस्तावित है | (2) नियोजित कर्मकारों की अधिकतम संख्या| इसके अतिरिक्त जानकारी में संशोधन हेतु 10 रूपए का अतिरिक्त शुल्क भी लिया जायेगा | कारखानों के अनुज्ञप्ति संशोधन हेतु देय शुल्क देखें |
10. एम.पी.ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग हेतु निर्धारित शुल्क	यदि एम.पी.ऑनलाईन किओस्क सेवा का उपयोग किया जाता है तो: रू.150/- **या** यदि नागरिक स्वयं ही एम.पी.ऑनलाईन के पोर्टल के माध्यम से आवेदन दर्ज करता है : रू.60/- **या** यदि आवेदन लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से जमा किया जाता है तो : रू.30/- अतिरिक्त शुल्क लोक सेवा केन्द्र द्वारा |
11. शुल्क जमा करने की विधि	सायबर ट्रेज़री के माध्यम सेः- ऑनलाईन **साईबर कोषालय(Cyber Treasury)**की पोर्टल पर श्रम विभाग के अंतर्गत निर्धारित हेड में राशि जमा

	करें । नेट बैकिंग/ऑनलाईन से शुल्क अन्तरण करें, ट्रेज़री वेबसाईट द्वारा जनरेट चालान/रसीद को सेव कर प्रिंट लें। कृपया चालान/सायबर ट्रेज़री रसीदकी जानकारी ऑनलाईन फार्म में दर्ज करें। **ट्रेज़री हेड (शुल्क जमा हेतु)** 0230-00-104-0000 - Fees realized under Factory Act **या** चालान द्वारा:- स्टेट बैंक आफ इण्डिया की शाखा में जाकर ऑनलाईन फार्म में मुख्य-उप शीर्ष एवं अन्य जानकारी दर्ज कर शुल्क जमा करें | **या** एम.पी.ऑनलाईन किओस्क पर नगद(*) जमा कर अथवा भुगतान प्रक्रिया के समय आवेदक स्वयं के नेट बैंकिंग/ क्रेडिट / डेबिट कार्ड उपयोग कर जमा कर सकता है | (*) - एम.पी.ऑनलाइन के माध्यम से किये जा रहे नगद भुगतान प्रक्रिया की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी)
12.समय सीमा	आवेदन जमा(आवश्यक दस्तावेजों सहित) होने की दिनांक से 30 कार्य दिवस के अन्दर| यदि कोई कार्यवाही उक्त समय-सीमा में नहीं की जाती है तो अपील करने का प्रावधान है |
13.अपील	आवेदन पत्र अमान्य किये जाने पर अथवा आवेदन का निराकरण समय-सीमा में न होने पर निम्नानुसार निर्धारित समय-सीमा में अपील की जा सकेगी:- ⇨ *अपील अधिकारी:* प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल
14.प्रमाणपत्र किस प्रकार प्राप्त होगा	डिजीटल हस्ताक्षरयुक्त अनुमोदित प्लान जनरेट होने पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS द्वारा सूचित किया जाएगा | आवेदक डिजीटल हस्ताक्षरयुक्त अनुमोदित प्लान एम.पी.ऑनलाइन पोर्टल पर अपना एफ.ए.सी नंबर तथा अकाउंट यूजरनेम पासवर्ड उपयोग कर डाउनलोड कर सकता है |
15. डिजिटल हस्ताक्षर का सत्यापन	आवेदक यदि चाहे तो स्वयं की संतुष्टि के लिये डिजिटल हस्ताक्षर के सत्यापन हेतु प्रमाण पत्र की सॉफ्ट कॉपी में डिजिटल हस्ताक्षर पर क्लिक करें।

ध्यान देने योग्य बातें :

- पंजीयन की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है अतः कार्यालय में आवेदक की उपस्थिति आवश्यक नहीं है।
- आवेदन करते समय सही मोबाइल नंबर भरें, यही मोबाइल नंबर पोर्टल पर रजिस्टर्ड माना जाएगा तथा अग्रिम संपर्क/सूचना हेतु उपयोगी होगा|
- आवेदन करते समय आवेदक/प्रबंधक का आधार नंबरअथवा पासपोर्ट नंबर डालना अनिवार्य है|
- आवेदन के समय दिए गए **एफ.ए.सी नंबर** तथा **यूजरनेम-पासवर्ड** को आगामी सन्दर्भ हेतु सुरक्षित रखा जाए|
- आवेदन में यदि आवश्यक दस्तावेज तथा जानकारी अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण पायी जाती है तो आवेदनको औ. स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के संबधित कार्यालय द्वारा आपत्ति में डाला जाएगा| आपत्तिजारी होने पर आवेदनकर्ता को ऑनलाइन अथवा उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर **SMS** द्वारा सूचित किया जाएगा|
- यदि आवेदन पर आपत्ति जारी हुई है, तो कृपया नवीन आवेदन समान त्रुटिपूर्ण जानकारी के साथ न दायर करें तथा एक बार में तथा अविलम्ब आपत्ति के कारणों का अनुपालन कर ऑनलाइन प्रेषित करेंअन्यथा आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है |
- प्रक्रिया सम्बन्धी किसी भी समस्या के निराकरण हेतु सम्बंधितऔ. स्वास्थ्य एवं सुरक्षाके जिला कार्यालय में संपर्क करें |
- एम.पी.ऑन.लाईन किओस्क के माध्यम से आवेदन प्रेषित करने पर निर्धारित फीस से ज्यादा फीस नहीं दिया जाना चाहिये |
- एम.पी. आन लाइन कियोस्क या लोक सेवा केन्द्र की फीस जमा किये बिना प्रक्रिया उस चरण से आगें नहीं बढ़ेगी । यह लाइसेंस फीस से पहले अलग से जमा करना होगा।
- लाइसेंस नवीनीकरण फीस चालान जनरेट करनेके बाद सेव करके प्रिंट ले सकते है तथा साइबर ट्रेझरी या ऑनलाइन फीस जमा नही करना है तों इस चरण पर बाहर आ सकते है । फिर इस जनरेटेड चालान के साथ उसमें अंकित फीस भारतीय स्टेट बैंक की शाखा पर अगले एक/दो/तीन दिनों में जमा कर आवेदन को एम.पी. ऑनलाइन पोंटल पर दो तीन दिनों बाद आवेदन क्रमांक FAC........... डाल कर खोला जा सकता है | यह जहां पर सेव कर लॉग-आउट किया था वहीं से खुलेगा फिर ऑनलाइन फार्म में फीस की

जानकारी भरकर ओरीजनल चालान की स्केन कापी लोड कर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकेगी।